

निर्बंधित/
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:-

दिनांक-21.01.2019 को अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परिवहन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श हेतु अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-21.01.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से होटल लेमन ट्री, पटना में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्यार्थ आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बंधित/
-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:-

दिनांक-21.01.2019 को अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परिवहन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श हेतु अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-21.01.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से होटल लेमन ट्री, पटना में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्यार्थ आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

1545

पटना, दिनांक- 22/1/19

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1545

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/ STA(विविध)-35/2018

पटना, दिनांक-

निबंधित/
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:-

दिनांक-21.01.2019 को अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परिवहन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श हेतु अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-21.01.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से होटल लेमन ट्री, पटना में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्यार्थ आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- आईटीओ मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को उनके ई-मेल पर प्रेषित करने एवं विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 21.01.2019 को अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, परिवाहकाण (ट्रांसपोर्टर) एवं अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार (कार्यवाही के अंतिम पृष्ठ के पश्चात् संलग्न)

बैठक राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के स्वागत अभिभाषण से प्रारंभ हुई। अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार, सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायी, इस व्यवसाय से जुड़े विभिन्न संगठन एवं परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया गया। सचिव, परिवहन द्वारा विभाग में किये जा रहे कार्यों एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा परिवहन विभाग में किये जा रहे सुधार कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी। अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्व की बैठक के कतिपय बिन्दु जो अपूरित रह गये हैं, उनका मोटरवाहन अधिनियम एवं नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अधीन शीघ्र निष्पादन किया जाय।

अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा उपस्थित परिवहन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी संगठनों एवं अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया कि वे व्यवस्था को जनोपयोगी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने हेतु अपना बहुमूल्य सुझाव दें।

विमर्श के बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. मंजली गाड़ियों के परिचालन हेतु अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों का निर्धारण :- सुझाव दिया गया कि जितने भी पुराने मार्गों को अधिसूचित किया गया है, उनके अतिरिक्त यदि अन्य नये मार्गों के संबंध में सूचना/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उन मार्गों को भी अधिसूचित करने की कार्रवाई की जाय।

राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा-68(3)(c-a) के तहत बिहार राज्य के अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु अधिसूचित कुल 3284 मार्गों को फरवरी, 2018 में अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात् प्राप्त सुझावों के आधार पर अतिरिक्त 377 मार्गों को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि नये मार्गों को जोड़ने के लिए आवेदन संबंधित सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के पास दिये जायें। सचिव इन आवेदनों को संकलित कर राज्य परिवहन आयुक्त को भेंजेंगे, जो विधिवत कार्रवाई पूर्ण कर मार्गों को 68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित करने की कार्रवाई करेंगे।

2. परमिट संबंधित बैठकों का नियमित आयोजन :- राज्य एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करने तथा प्राधिकार के निर्णयों के अनुरूप परमिट के निर्गमन संबंधित कार्यों का समयबद्ध तरीके से संपन्न करने का सुझाव दिया गया।

राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा बताया गया कि C.W.J.C.No-8047/2017 कैलाश मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दायर वाद के कारण अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर परमिट निर्गमन हेतु

आयोजित होने वाली प्राधिकारों की बैठक में कुछ अड़चन है, जिन्हे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में संबंधित महाधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर उक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया जाय।

3. दो से अधिक प्राधिकारों में पड़ने वाले मार्गों पर परमिट निर्गमन :- दो से अधिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारों से होकर गुजरने वाले स्टेज कैरिज वाहनों को परमिट देने के संबंध में चर्चा की गई। एक पक्ष का मत था कि दो से अधिक प्राधिकारों से होकर गुजरने वाले मार्गों पर परमिट निर्गत किये जाने के संबंध में दिनांक-29.10.2013 को राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जाय। राज्य परिवहन प्राधिकार का निर्णय था कि— “तीन या तीन से अधिक प्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाले मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट की स्वीकृति राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा दी जाएगी तथा दो प्राधिकारों के अन्तर्गत पड़ने वाले मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट की स्वीकृति क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा दी जाएगी। पूर्व में निर्गत परमिट एवं उसके नवीकरण पर निर्णय लागू नहीं होगा। इस निर्णय की प्रति सभी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को दी जाय।”

दूसरे पक्ष का मत था कि सभी प्रकार के आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में दिया जाय, जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69 में वर्णित है।

बैठक में शामिल कतिपय अधिवक्ताओं/ट्रांसपोर्टों द्वारा बताया गया कि वर्ष, 1994 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि दो से अधिक प्राधिकारों के अन्तर्गत पड़ने वाले मार्गों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत किया जायेगा। यद्यपि कि इस तरह के निर्णय से संबंधित कोई भी कागजात किसी भी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया गया कि यदि किसी पक्ष के द्वारा वर्ष, 1994 में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति उपलब्ध कराये तो राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार पूर्ण समीक्षा करते हुए विषय वस्तु से अध्यक्ष महोदय को अवगत करायें।

4. पर्यटक परमिट एवं अन्य प्रकार के वाहनों के परमिट निर्गमन हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन :- पर्यटक परमिट एवं अन्य छोटे वाहनों के परमिट निर्गमन को सुगम एवं सुलभ बनाने के मामले पर भी चर्चा की गयी। परिवाहक गण का सुझाव था कि यदि पर्यटक परमिट निर्गत करने की व्यवस्था जिला परिवहन स्तर पर की जाती है तो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायियों को काफी सहूलियत होगी। इसी तरह उनके द्वारा मांग की गयी कि छोटे व्यवसायिक वाहनों के भी परमिट की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाय, जिससे लोगों को परमिट लेने में सुविधा होगी तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी। सभी ने उक्त कोटि के परमिट के अधिकार को जिला स्तर पर प्रत्यायोजन की मांग की।

राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस संबंध में सूचना दी गयी कि पर्यटक परमिट के निर्गमन हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों को करने हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68(1) एवं 69(1) में संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। तत्काल गैर प्रमंडलीय जिलों में स्थित जिला परिवहन कार्यालयों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का एक एक्सटेंशन काउन्टर खोला गया है,

जहाँ परमिट का आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। इसी कान्ट्रोलर से आवेदकों को परमिट हस्तगत भी कराया जाता है। भविष्य में आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जायेगी।

5. नवीकरण के मामले में तीन माह के अन्दर वाहन प्रतिस्थापन संबंधी शर्त:- परिवहन से जुड़े विभिन्न संगठनों के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि दिनांक-27.04.2017 को संपन्न राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वाहनों का नवीकरण इस शर्त पर किया जायेगा कि वर्तमान परमिट से आवृत्त वाहन को तीन माह के अन्दर नये/ उच्चतर मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

सचिव, परिवहन द्वारा बताया गया कि प्राधिकार द्वारा दिनांक-24.04.2017 की बैठक का निर्णय इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया था कि प्राधिकार की बैठक कतिपय कारणों से ससमय संपन्न नहीं हो पा रही थी। अतः जनसुलभता के लिए नवीकरण की शक्ति राज्य परिवहन आयुक्त को प्रत्यायोजित की गयी और नवीकरण की उक्त शर्त जोड़ी गयी।

बैठक के दौरान आम सहमति थी कि नवीकरण के संदर्भ में शक्ति प्रत्यायोजन को अक्षुण्ण रखते हुए नवीकरण के लिए वाहन की आयु सीमा दिनांक-21.08.2003 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुरूप किया जाय।

दिनांक-21.08.2003 की बैठक में राज्य परिवहन प्राधिकार का निर्णय था कि-"0(शून्य) वर्ष से 05(पाँच) वर्ष तक के आयु के वाहन पूर्ववत् असीमित दूरी तक, 5 से 10 वर्ष तक की आयु के वाहन 510 कि०मी० के स्थान पर 600 कि०मी०, 10 से 15 वर्ष तक के आयु के वाहन यथावत्, 400 कि०मी० तथा 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के वाहन 100 कि०मी० के स्थान पर 200 कि०मी० प्रतिदिन परिचालन दूरी निर्धारित की जाती है।"

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि परमिट के नवीकरण के समय राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार वाहन की आयु सीमा का निर्धारण किया जाय। उक्त निर्णय को प्राधिकार की अगली बैठक में संपुष्ट कराया जाय।

6. बिना वाहन के परमिट की स्वीकृति :- वित्त पोषक संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राधिकार द्वारा बिना वाहन के भी परमिट की स्वीकृति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की जाय जिससे वाहन स्वामियों को वाहन का ऋण देने में सहुलियत हो। अधिकांश वाहन स्वामियों द्वारा इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि ऐसा होने से कई वाहन स्वामी सिर्फ Time Slot को प्रभावित/छेकने/बाध्य करने के उद्देश्य से परमिट आवेदन समर्पित कर सकते हैं। जिससे एक अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी।

7. अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर निर्गत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की समय-सीमा के निर्धारण के संबंध में :- परिवहकों द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर दूसरे प्राधिकार द्वारा एक नियत समय-सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तथा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों/अन्तर्राज्यीय मार्गों पर निर्गत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की तिथि से बिहार राज्य की कर की गणना किये जाने संबंधी सुझाव दिया गया।

राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा बताया गया कि मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित प्रावधानों के आलोक में परमिट प्रतिहस्ताक्षर संबंधी प्रक्रिया अपनायी जाती है।

५

8. स्लीपर बस का परिचालन :- स्लीपर बस के परिचालन के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए। ट्रान्सपोर्टर्स का कहना था कि ये बसें वाई-फाई, ए0सी, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, अग्निशमन जैसी सुविधाओं से युक्त होती हैं। बाहर के राज्यों में इन्हें आसानी से परमिट निर्गत किया जाता है, किंतु बिहार में इसका परमिट नहीं दिया जाता जबकि कानूनी प्रावधान है। इससे यात्री सुविधा एवं राजस्व दोनों की क्षति होती है।

सचिव, परिवहन द्वारा बताया गया कि स्लीपर बसों की परिचालन हेतु माननीय मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

9. मार्गों का राष्ट्रीयकरण :- मार्गों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में प्रश्न उठाया गया। ट्रान्सपोर्ट संगठनों का कहना था कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पास बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या कम की जाये एवं इन राष्ट्रीयकृत मार्गों में से कतिपय मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किया जाये। ट्रान्सपोर्ट संगठनों द्वारा मांग की गयी कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए आरक्षित मार्गों पर 50% तक निजी बसों के परिचालन हेतु भी अनुमान्य किया जाय।

राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के परिचालन हेतु कम मार्ग ही आरक्षित हैं। कुल अधिसूचित 3284 मार्गों में यह संख्या अत्यल्प है।

10. बस पड़ाव में यात्री सुविधा की उपलब्धता :- परिवाहकों के द्वारा मार्गों में पड़ने वाले बस पड़ाव के भीतर यात्री सुविधा के अभाव का भी जिक्र किया गया साथ ही बस पड़ाव के भीतर अवैध वसूली के संबंध में शिकायत की गयी।

अध्यक्ष के द्वारा यह निदेश दिया गया कि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-191 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत सभी प्रमण्डलीय आयुक्त बस पड़ाव की जाँच करायेंगे। जिन बस पड़ावों की सुविधा मानक के अनुरूप नहीं होगी, उनमें सुधार हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

11. दुरुस्ती के संदर्भ में शमन की राशि के लिए सर्वक्षमा योजना लाने के संबंध में :- परिवहन से जुड़े संगठनों द्वारा अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया कि वाहन के दुरुस्ती प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाने पर किसी कारणवश ससमय दुरुस्ती प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाने की स्थिति में 50 रुपये प्रतिदिन के दर से दण्ड का प्रावधान है।

यह राशि कतिपय मामलों में इतनी अधिक हो जाती है कि वाहन स्वामी उसका भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं। छोटे व्यवसायी अक्सर दुश्चक्र में फँस जाते हैं।

अनुरोध किया गया कि दुरुस्ती के मामले में भी शमन की राशि के अवस्थापन के लिए एक सर्वक्षमा योजना लाने पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि सचिव, परिवहन उक्त मामले के संबंध में प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करेंगे।

e

12. परमिट एवं आवेदन शुल्क के संबंध में :- अधिवक्ताओं एवं वाहन स्वामियों द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में परमिट की स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आवेदनों के साथ आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क लिया जा रहा है, जबकि आवेदन के समय आवेदन शुल्क ही मात्र ही लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-74 के सुसंगत प्रावधानों की समीक्षा राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा करते हुए विषय वस्तु को अध्यक्ष महोदय के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय ताकि पूरे राज्य में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सके।

13. गैरेज के द्वारा निर्गत मरम्मती प्रमाण पत्र को मान्यता :- परमिट से आवृत वाहन के प्रत्यर्पण के संबंध में वाहन स्वामियों एवं ट्रांसपोर्टर्स द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि वाहन के दुर्घटना एवं मरम्मत हेतु गैरेज में जाती हैं तो गैरेज द्वारा निर्गत किये गये प्रमाण पत्र को उस अवधि हेतु कर माफी में मान्यता दी जाय। वैसे वाहन जिनके परिचालन की आयु समाप्त हो चुकी हो अथवा जो मार्ग पर चलने योग्य नहीं हैं, उनके निबंधन प्रमाण पत्र को रद्द करने हेतु दुरुस्ती प्रमाण पत्र एवं बीमा प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त किया जाय एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निबंधन रद्द करने हेतु वांछित कागजातों की चेक लिस्ट बनाने के संबंध में विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सचिव, परिवहन विभाग सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत वाहन के दुर्घटना एवं मरम्मती तथा वाहन के निबंधन प्रमाण पत्र के रद्द करने हेतु आवश्यक कागजातों की सूची को सरलीकृत करने की कार्यवाई करेंगे।

14. जिला परिवहन कार्यालयों में POS की सुविधा :- वाहन स्वामी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिला परिवहन कार्यालयों में कर एवं शुल्क के भुगतान हेतु POS(Point of Sale) Machine की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिससे कर दाताओं एवं वाहन स्वामियों को कर एवं शुल्क के भुगतान में कठिनाई नहीं हो। इस संबंध में सचिव, परिवहन विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि निकट भविष्य में ये सुविधायें जिला परिवहन कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेंगी।

15. C.N.G वाहन :- बैठक में मौजूद वाहन स्वामियों द्वारा कहा गया कि पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे व्यावसायिक वाहनों को परमिट निर्गत किये जाने पर रोक लगी हुई है। यह मांग की गयी कि C.N.G वाहनों से प्रदूषण नहीं फैलता है इस कारण छोटे C.N.G व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट निर्गत किये जाने पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अन्य राज्यों में C.N.G युक्त वाहनों को परमिट दिया जा रहा है इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा भी अन्य राज्यों की भांति C.N.G युक्त वाहनों को परमिट देने पर विचार करेगी।

e

16. पन्द्रह वर्ष की उम्र से अधिक के वाहनों के परिचालन के संबंध में :- बैठक में विभिन्न वाहन स्वामियों द्वारा पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के वाहनों के परिचालन पर लगी रोक को हटाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्णय के संदर्भ में विभाग द्वारा कार्रवाई किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि सचिव, परिवहन विभाग माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिशा निर्देश के अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

17. परमिट प्रक्रिया पूर्णरूप से ऑनलाईन करने के संबंध में :- सचिव, परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि मालवाहक वाहनों के लिए परमिट, ठेका परमिट एवं ऑटो के लिए परमिट के निर्गमन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाईन किया जा चुका है एवं शेष प्रकार के परमितों को ऑनलाईन किये जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है।

18. पेशाकर से छूट :- बैठक के दौरान विभिन्न वाहन स्वामियों द्वारा इस बात पर आपत्ति की गयी कि परमिट के निर्गमन के समय पेशा कर जमा किये जाने संबंधी चालान की प्रति की मांग की जाती है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए परमिट के निर्गमन में पेशा कर संबंधी साक्ष्य की बाध्यता को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि सचिव, परिवहन मामले की समीक्षा कर नियम संगत कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष महोदय को अवगत करावें।

८



अध्यक्ष,

राज्य परिवहन प्राधिकार
बिहार, पटना।